रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02012026-269048
CG-MH-E-02012026-269048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5883] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947
No. 5883] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6083(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 20 क की उप धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र ,असाधारण, भाग ,II खंड ,3 उपखंड (ii)तारीख 8 अगस्त 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय) रेलवे बोर्ड (की अधिसूचना संख्यांक का.आ . 540)अ , (तारीख, 8 अगस्त , 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्व अनुसुची में विनिद्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य में जिला अहमदाबाद में गेरतपुर) बारेजडी- नान्देज़ (साणंद के बिचमें चौथी लाइन परियोजना) 38.20 की.मी (नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों " द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" (अंग्रेज़ी(और " दिव्य भास्कर " (गुजराती(और " यंग लीडर" (हिंदी(में तारीख 13 अगस्त , 2025 को प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा 20घ के तहत कोई भी व्यक्ति से कुछ भी आपत्ति प्राप्त नही हुई है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20च को उप.घारा (1) के अनुसरण में कंन्द्रीय सरकारको अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अत ,:अब , केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड ,की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती हे की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार ,उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसुचि मे विनिद्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार ने निहित होगी|

अनुसूची

गुजरात राज्य में गेरतपुर) बारेजडी -नान्देज़ -(साणंद के बिचमें चौथी लाइन) 38.20 कि.मी (.नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ज़िला : अहमदाबाद

क्रमिक संख्या	तालुका	गाँव	सर्वे नंबर	पैकी सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल)Sq.mtr)	जमिन मालिक / रुचिकर व्यक्ती
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	साणंद	साणंद	882	882/1	निजी	कृषि	2314	हबीबभाई नबीभाई, नौशेर नबीभाई, रहेमतबेन रसूलभाई मोमिन की विधवा, हुसैनभाई रसूलभाई मोमिन, मुहम्मदभाई रसूलभाई मोमिन, दाऊदभाई रसूलभाई मोमिन
				882/2	निजी	कृषि		सुलेमानभाई अमीभाई, बाबूभाई अमीभाई, अब्दुलभाई अमीभाई
कुल							2314	

[फा. सं. E. -551140-05]

डी.आर .चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक निर्माण/ ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6083(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 540(E), dated the 8h August, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 8h August, 2025 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of the Special Railway Project, namely, **4TH LINE BETWEEN BAREJADI – NANDEJ (GERATPUR) – SANAND (38.20 KM) IN THE DISTRICT OF AHMEDABAD** in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local news papers, namely, The Times of India (English), dated the 13st August, 2025, Divya Bhasker (Gujarati) dated the 13st August, 2025 and Young leader (Hindi) dated the 13st August, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objection under section 20D from any persons;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely : 4th LINE BETWEEN GERATPUR (BAREJADI-NANDEJ) – SANAND (38.20 km) IN THE STATE OF GUJARAT

Name of District : Ahmedabad

Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number / Block Number	Survey No. Paiky No.	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (sq.mts)	Name of the land owners / interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Sanand	Sanand	**882**	**882/1**	Private Land	Agriculture	**2314**	Habibbhai Nabibhai, Nausher Nabibhai, Rahematben Rasulbhai Momin's widow, Hussainbhai Rasulbhai Momin, Muhammadbhai Rasulbhai Momin, Dawoodbhai Rasulbhai Momin
				882/2	Private Land	Agriculture		Sulemanbhai Amibhai, Babubhai Amibhai, Abdulbhai Amibhai
Total							**2314**	

[F. No. E. -551140-05]

D.R. CHAUDHARY, Chief Project Manager/Construction-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.02 15:56:30 +05'30'